(15)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1083–एक/2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–05–2010 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 343/अपील/2005–06

....

1– कल्याणमल पिता रामनिवास जी महाराज
निवासी रतनगढ तहसील जावद
जिला नीमच म0प्र0

2– सुनील कुमार पिता कल्याणमल जी महाराज
निवासी रतनगढ तहसील जावद
जिला नीमच म0प्र0

.... आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

.... अनावेदक

....

श्री कैलाश जौशी, अभिभाषक, आवेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17 अगस्त 2015 को पारित)

यह निगरानी, आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–05–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि तहसीलदार द्वारा दिये गये 1500 अर्थदण्ड अरोपित करने एवं शासकीय भूमि से बेदखली संबंधी आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी ने अपील निरस्त की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष पेश की जो आदेश दिनांक 7–5–15 निरस्त की गई। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। आवेदक अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि उनके पक्षकार आवेदक द्वारा उक्त अर्थदण्ड जमा कर दिया है तथा अब वह प्रकरण को आगे संचालित नहीं करना चाहता है, अतः निगरानी समाप्त की जाये।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये निगरानी इसी स्तर समाप्त की जाती है। प्रकरण रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर